

चंपारण का विकास और गांधी

Dr. Pravin Kumar Jha

Post Doctorate Fellow
Indian Council of Social Science Research, Delhi

हिमालय के तराई प्रदेश में बसा चंपारण का इतिहास गौरवपूर्ण एवं शक्तिशाली रहा है। यह ऐतिहासिक जिला जल एवं वनसंपदा से पूर्ण है। चंपारण का नाम चंपा + अरण्य से बना है जिसका अर्थ होता है- चम्पा के पेड़ों से आच्छादित जंगल। एक ओर चंपारण की भूमि देवी सीता की शरणस्थली होने से पवित्र है वहीं दूसरी ओर आधुनिक भारत में गाँधीजी का चंपारण सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास का अमूल्य धरोहर है। पुराण में वर्णित है कि यहाँ के राजा उत्तानपाद के पुत्र भक्त ध्रुव ने यहाँ के तपोवन नामक स्थान पर ज्ञान प्राप्ति के लिए घोर तपस्या की थी। छठी सदी ईसापूर्व में वैशाली के साम्राज्य का हिस्सा बनने के बाद भगवान बुद्ध ने यहाँ उपदेश दिया था जिसकी याद में अशोक ने स्तंभ लगवाए और स्तूप का निर्माण कराया। गुप्त वंश तथा पाल वंश के पतन के बाद मिथिला सहित समूचा चंपारण प्रदेश कर्नाट वंश के अधीन हो गया। मुसलमानों के अधीन होने तक तथा उसके बाद भी यहाँ स्थानीय क्षत्रपों का सीधा शासन रहा। अंग्रेजों ने चंपारण को सन 1866 में एक स्वतंत्र इकाई बनाया था लेकिन 1971 में इसका विभाजन कर पूर्वी तथा पश्चिमी चंपारण दो जिला बना दिया गया।

गाँधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद गोखले के परामर्श पर वर्ष भर भ्रमण करते हुए भारत के ग्रामों और किसानों को समझने की मौन चेष्टा की। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय चंपारण के राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर महात्मा गाँधी अप्रैल 1917 में मोतिहारी आए। उस समय नील की फसल पर तीनकठिया खेती के विरोध में सत्याग्रह का पहला सफल प्रयोग किया। आजादी की लड़ाई में अनेक जगहों पर चंपारण में स्त्रियों के साथ साथ बच्चों को शिक्षित करने के लिए विद्यालय का निर्माण कर नए चरण की शुरुआत थी। भारत में गरीबी की विकट समस्या को दृष्टिगत रखते हुये केन्द्र सरकार स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों से ही गरीबी निवारण के लिये प्रयासरत है पंचवर्षीय योजनाओं में गरीबी उन्मूलन को प्रमुख प्राथमिकताओं में सम्मिलित किया गया है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना में "गरीबी हटाओ" नारे को प्रमुख प्राथमिकता में सम्मिलित किया गया। योजनाबद्ध विकास में गरीबों के लिये बनी योजनाओं पर भारी भरकम पूंजी निवेश किया गया है। जिसके फलस्वरूप विगत वर्षों में गरीबी में निरन्तर गिरावट हुई है। फिर भी निर्धन लोगों की कुल संख्या जनसंख्या में वृद्धि हो जाने के कारण यह स्थिर बनी हुई है। आर्थिक वृद्धि के कारण रोजगार के अवसर बढ़ने से गरीबी को कम करने में मदद मिलती है। आर्थिक विकास के अलावा लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए बुनियादी सेवाओं की व्यवस्था के लिये सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार दोनों के सृजन के लिये विशेष रूप से बनाये गये गरीबी रोधी कार्यक्रम पुनः रचित एवं संरक्षित किये गये हैं ताकि इस कार्यक्रम को अधिक कारगर बनाया जा सके।

भारत सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, दीनदयाल अंत्योदय योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को लागू करके ग्रामीण क्षेत्रों

में गरीबी को कम करने के लिए काम कर रही है। ये सभी योजनाएं पिछली सरकारों के तहत शुरू की गई थीं। गरीबी उन्मूलन के नाम पर बातें बहुत की गयीं लेकिन न तो गरीबी कम हुई और न ही गरीबों के जीवन में कोई सुधार आया। आज करोड़ों ऐसे लोग हैं जिन्हें दो वक्त की रोटी ढंग से मिल सके। शेष चीजें जैसे, कपड़े, घर, पानी की सुविधा, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि उसके लिए सिर्फ कान में घुलने वाले शब्द ही लगते हैं। सरकारें गरीबों को ध्यान में रख कर हजारों योजनाएं बनाती हैं लेकिन उसके समुचित क्रियान्वयन के अभाव में गरीबी लाइलाज बीमारी की तरह बढ़ती ही गई। गरीबी का अर्थ है आर्थिक रूप से कमजोर होना। समाज में एक-दूसरे के आर्थिक स्तर के आधार पर गरीबी को परिभाषित किया गया है। जो कि किसी व्यक्ति के एक निश्चित आर्थिक कल्याण के स्तर से संबंधित है। रंगराजन समिति के आंकड़ों के अनुसार करीब 30 करोड़ लोग गरीब हैं। गरीबों की जरूरतें बढ़ी हैं उनकी संख्या बढ़ी है किन्तु उनकी अपनी आय उन्हें पूरा करने तथा राज्य को विवश कर पूरा कर सकने की ताकत या क्षमता अपेक्षाकृत कमजोर है। अरसे से शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, पानी आम जन को उत्पादन के लिए सक्षम करने के लिए उत्पादन, आधारभूत संरचना आदि के कई कार्यक्रम चल रहे हैं। किन्तु ये प्रायः सांकेतिक तथा प्रभावी परिपूर्णता विहीन हैं। गरीबी उन्मूलन अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम के आयोजन में चर्चा करते हुए अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघ (भारत) की जिला अध्यक्ष सुरैया साहब ने उपस्थित लोगों से अपील की कि इस अभियान को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम सभी को मिलकर काम करना होगा तभी जमीनी स्तर तक के लोगों को इससे निजात मिल सकेगी।

सरकार की ओर से ग्रामीण विकास के संदर्भ में गरीबी उन्मूलन के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। जिसका प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लाभ गरीबों को मिलता है। आवास योजना, खाद्यान्न वितरण, कृषि अनुदान से लेकर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना तक के माध्यम से गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में काम किया जा रहा है। इसके अलावा शिक्षा में किताब, साइकिल से लेकर पोशाक योजना का लाभ देकर गरीबों को आर्थिक मदद किया जाता है। प्रत्येक वर्ष इसके मद में सरकार का करोड़ों रुपया खर्च होता है। उनके अनुसार इसका लाभ भी देखने को मिला है। आम आदमी के जीवन स्तर से लेकर शिक्षा स्तर तक में सुधार हुआ है। वहीं पोषण के क्षेत्र में भी इसका लाभ दिख रहा है। पांच साल पहले के मुकाबले आज गरीबी का दर गिरा है। मनरेगा के माध्यम से गरीबी उन्मूलन का चंपारण के बगहा मे सरकार द्वारा प्रयास किया गया है। जिसका परिणाम यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को जॉब कार्ड बनाकर उनको साल में एक सौ दिन रोजगार देने की योजना चलाई गई है। जिसके तहत प्रत्येक प्रखंड क्षेत्र में वर्ष 2018-19 में करीब दो हजार व 19-20 में एक हजार मजदूरों को जॉबकार्ड देकर उनको सौ दिन काम भी दिया गया है। बेरोजगार हाथों को काम देना भी गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में एक बड़ा प्रयास है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के गरीबी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डीआर डी ए) पारंपरिक रूप से जिला स्तर पर प्रमुख अंग है। जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डीआरडीए) प्रशासन की योजना का उद्देश्य डीआरडीए को मजबूत करना और उन्हें अधिक पेशेवर और प्रभावी बनाना है। इस योजना के तहत, डीआरडीए को एक तरफ मंत्रालय के गरीबी कार्यक्रमों के प्रबंधन में सक्षम विशेष एजेंसी के रूप में देखा जाता है। डीआरडीए गरीबी विरोधी कार्यक्रमों के लिए लक्षित धन का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करेगा। गरीबी उन्मूलन के लिए इसे विशिष्ट क्षमताओं को विकसित करने की आवश्यकता पर बल देना है।

पूर्वी चंपारण जिले के हरसिद्धि प्रखंड निवासी पवन श्रीवास्तव केले के तने से धागा बनाने के काम में जी जान से जुटे हैं। उन्होंने इस काम के लिए महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। ये महिलाएँ बैग, टोपी, पायदान, सोफा कवर, टीपैड, सेनेटरी पैड और रस्सी सहित अन्य सामान बना रही हैं। दूसरी ओर, कोलकाता की एक कंपनी से प्रति क्विंटल 11 हजार की दर पर धागा बेचने का अनुबंध है। किसानों से बेकार केले का एक पौधा 10 रुपये में खरीदा जाता है। उसके तने से करीब तीन सौ ग्राम धागा निकलता है। तने से निकले पानी से जैविक रसायन और बाकी बचे कचरे से खाद बनाते हैं। जैविक रसायन का बाजार मूल्य अभी सात सौ रुपये प्रति लीटर है। तीन मशीन, दो मजदूर, एक ट्रैक्टर के सहयोग से एक दिन में एक क्विंटल धागा तैयार किया जाता है। इस पर लगभग 54 सौ रुपये खर्च होते हैं। जैविक रसायन व खाद जोड़ दिया जाए तो लाभ तीन गुना हो सकता है। कृषि विज्ञान केंद्र, पीपराकोठी के प्रमुख कृषि वैज्ञानिक डॉ. अरविंद कुमार ने कहा कि केले की खेती करने वाले किसानों के लिए यह बेहतर होगा। वे इसके तने से भी आमदनी प्राप्त कर सकेंगे। इससे बहुत से लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा।

“चंपारण सत्याग्रह शताब्दी वर्ष के समापन समारोह” पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, “मुझे गर्व है कि सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह तक की इस यात्रा में बिहार के लोगों ने एक बार फिर अपनी नेतृत्व क्षमता दिखाई।” प्रधानमंत्री ने कहा कि गंगा तट के किनारे बसे गांवों को प्राथमिकता के आधार पर खुले में शौच से मुक्त बनाया जा रहा है। इन गांवों में कचरा प्रबंधन की योजनाएं लागू की जा रही हैं ताकि कचरा नदी में न बहाया जाए। जल्द ही गंगा तट खुले में शौच से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि स्वच्छ ईंधन पर जोर और उज्ज्वला योजना की सफलता की वजह से रसोई गैस सिलेंडर की मांग भी बढ़ी है। चंपारण और आसपास के लोगों को गैस सिलेंडर की दिक्कत नहीं हो, इसके लिए मोतिहारी और सुगौली में एलपीजी संयंत्र लगाने की परियोजना का शिलान्यास किया गया है। चंपारण के इतिहास का अहम हिस्सा रही इस झील के नाम पर ही मोतिहारी शहर का नाम है। इस झील के पुनरुद्धार का कार्य शुरू हो रहा है। पानी से स्वच्छता का संबंध रेखांकित करते हुए मोदी ने कहा कि बेटिया को पीने के साफ पानी के लिए जूझना ना पड़े, इसके लिए अमृत योजना के तहत तकरीबन 100 करोड़ रुपए की लागत से जल आपूर्ति परियोजना की शुरुआत किया गया है। डेढ़ लाख से ज्यादा लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा।

तीव्र गति से कृषि और ग्रामीण रोजगार विकास हमेशा से देश के नीति निर्माताओं के केंद्र में रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारत की परिकल्पना स्वायत्त आत्मनिर्भर गांवों के लोकतंत्र के रूप में की थी। भूमि, ग्रामीण अस्तित्व और कृषि ढांचा भारत के विकास के सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। जमीन का असमान वितरण खेती के पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार था। ग्रामीण भारत में जमीन के महत्वपूर्ण आय का साधन होने को देखते हुए ग्रामीण जनसंख्या की समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए खेती के अधिकार ढांचे में बदलाव आवश्यक था। इसलिए देश की नीति, राज्य सरकार द्वारा भूमि सुधार कानूनों को बनाने और इनका क्रियान्वयन करने पर केंद्रित हुई। इनमें भूमि की अधिकतम सीमा, काश्तकारी और भूमि राजस्व अधिनियम और खेतीहर नीति में भूमि को विस्तृत रूप में सम्मिलित करना था। अधिक कृषि योग्य सरकारी भूमि निर्धनो और जरूरतमंद खेतीहरो को आजीविका के लिए वितरित की गई। इन नीतियों की परिकल्पना कृषि विकास को प्रोत्साहन देने और ग्रामीण निर्धनता को समाप्त करने के लिए की गई।

आज का चंपारण गांधी का वैश्विक नजरिया व्यक्ति के साथ-साथ समाज के नैतिक मूल्यों से जुड़ा था। धूमपान और शराब की कड़े तौर पर मनाही थी। बड़हरवा लखनसेन में गांधी ने पहला स्कूल खोला था। वहां के कार्यवाहक सुरेश सिंह अपने पिता से सुनी बात बताते हैं, 'गांधी ने हुक्के के इस्तेमाल से रोकने के लिए विद्यालय के सामने एक पेड़ पर हुक्का लटका दिया था।' उसके सौ साल बाद आज राज्य में शराब प्रतिबंधित है, पर चंपारण के युवाओं में बेरोजगारी व नशाखोरी तेजी से बढ़ी है। स्थानीय वकील और सामाजिक कार्यकर्ता एम. आलम कहते हैं, 'मुझे लगता है कि अगर जल्दी कदम नहीं उठाए गए तो युवाओं का भविष्य खतरे में पड़ सकता है।' गांधी का अनुसरण करते हुए खुद आलम ने मई 2015 में गन्ना सत्याग्रह की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य गन्ना किसानों व कारखानों के मजदूरों को उचित मजदूरी मुहैया कराना था। वह कहते हैं, 'यह विरोध पूरे तीन सप्ताह तक चला और बिहार उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिका भी डाली गई, जिसने कई किसानों की बेहतरी का रास्ता खोला।' हालांकि जिले में अभी भी किसानों की संख्या ज्यादा है। कुछ चीनी मिलें हैं। बकाया भुगतान में देरी व कारखानों के कारण वायु व जल प्रदूषण के मुद्दे भी जगह बना चुके हैं। चीनी मिलों के अवशेष वाले गंदे पानी से बाढ़ की बदहाली में फसलों का नुकसान गरीबों और किसानों को आर्थिक रूप से कमजोर बनाता है। गांधी का स्वराज पूरी तरह कृषि पर निर्भर गांवों को स्वावलंबी बनाना था। आज सूचना युग ने नई राहें और महत्वाकांक्षाओं को जन्म दिया है। लेकिन, चंपारण और उसके आसपास के क्षेत्रों के लोग मजदूर ही रहे। एक समय वे दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों के लिए मजदूरी कर रहे थे और आज काम के लिए दिल्ली, मुंबई, पंजाब और अरब देशों का रुख कर रहे हैं। मानव विकास संस्थान के 2016 की बिहार के सात जिलों के अध्ययन के आधार पर बनी एक रिपोर्ट के अनुसार, यहां के 58 प्रतिशत घरों में कम से कम एक प्रवासी श्रमिक है। हालांकि, ये गांव कभी गांधी के स्वराज के विचार के लिए अहम थे। गांधी ने अपनी आत्मकथा में लिखा था, 'मेरे आदर्श गांव में मनुष्य बुद्धिमान होंगे। स्त्री और पुरुष दोनों ही आजाद दुनिया में अपने बलबूते खड़े होने के योग्य होंगे।'

REFERENCES

- [1] रविन्द्र एच ढोलकिया, भारत का आर्थिक विकास, योजना 2014
- [2] ग्रामीण विकास में हिंदी व भारतीय भाषाओं का योगदान, यशवंत कोठारी
- [3] दैनिक जागरण, अमर उजाला , हिंदुस्तान व अन्य समाचार पत्रों के आलेख
- [4] एच एल पाण्डेय, गाँधी, नेहरू, टैगोर एवं आंबेडकर, प्रयाग पुस्तक भवन, इलाहाबाद
- [5] गाँधी का लेख, हरिजन 1934
- [6] अरविंद मोहन, मीडिया, शासन और बाजार, वाग्देवी प्रकाशन.
- [7] मेरे सपनों का भारत, मोहनदास करमचंद गांधी सर्वोदय प्रकाशन
- [8] अदम्य साहस, एपीजे अब्दुल कलाम, अनुवाद ओपी झा, संस्करण 2007
- [9] भारत में जनसंचार और प्रसारण मीडिया, मधुकर लेले- संस्करण 2011
- [10] जनसंचार के सामाजिक संदर्भ, जवरीमल पारख, 2011
- [11] मीडिया विमर्श, रामशरण जोशी, सामयिक प्रकाशन नई दिल्ली

- [12] डॉ. अनिल कुमार उपाध्याय, पत्रकारिता एवं विकास संचार, भारती प्रकाशन, वाराणसी, 2007
- [13] गूगल वेबसाइट
- [14] विकिपेडिया डॉट कॉम